c 16, 2024, 16:41 | BLAZE 5G

न्यायालय श्रीमान स्पेशल जज (एम0पी0 / एम0एल0ए0) महोदय आगरा

प्रा0प0सं0– / 2024

गगन शर्मा एडवोकेट निवासी–बी–34, सरला बाग एक्सटेंशन, दयालबाग, जिला आगरा। दीवानी कार्यालय–चैम्बर नं0–सी–1, सिविल कोर्ट, नई बिल्डिंग, मस्जिद के पास, न्यू आगरा, आगरा। मो0नं0–7906132[illegible]595

SINGH Advocate Opp. Maszid, Civil Cour, A Reg. No. 2600/1994

.... प्रार्थी / वादी

बनाम

श्री मल्लिकार्जुन खडगे सांसद राज्यसभा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस कार्यालय–इंडियन नेशनल कांग्रेस, 24 अकबर रोड, नई दिल्ली पिन–110011, वर्तमान निवास–10 राजाजी मार्ग, नई दिल्ली–110011, Permanent Address-No. E/11/1297, Basavanagara Brahmapura, gulbarga town, gulbarga taluk and district. 289 17th Cross sadashivnagar, Banglore-560080

.... विपक्षी

अं0धारा–299, बी0एन0एस0

थाना–न्यू आगरा, आगरा।

प्रार्थना पत्र अं0धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0

श्रीमानजी,

प्रार्थी निम्न निवेदन करता है:–

1. यह कि प्रार्थी गगन शर्मा (एडवोकेट) निवासी–सरला बाग एक्सटेंशन, दयालबाग जिला आगरा का निवासी हूँ तथा हिन्दू धर्म को मानता हूँ एवं हिन्दू रीति रिवाज से शासित हूँ। मैं व मेरा परिवार हिन्दू रीति रिवाज से जीवन यापन करते है तथा पिछले लगभग 19 वर्षो से वकालत के सम्मानित पेशे में हूँ।
2. यह कि प्रार्थी की हिन्दू देवी–देवताओं एवं भगवानों पर पूर्ण आस्था

LAVA | BLAZE 5G
06.12.2024 16:41

है तथा प्रार्थी भगवान शिव का उपासक है तथा निरंतर पूजा पद्धति से नियमित रूप से देव आदि देव शिव को भगवान उपासना एवं सावन के सोमवार में व्रत रखता हूँ और प्रार्थी की भगवान शिव पर अटूट आस्था होने के कारण प्रार्थी ने यह संकल्प किया है कि वह अपने जीवनकाल में वे भारत देश में उन 12 ज्योतिलिंगो लिंगो का दर्शन लाभ प्राप्त करेगा जहॉ शिव पुराण और हिन्दू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव द्वारा खुद दर्शन दिये थे, तब जाकर शिव के 12 ज्योतिलिंगो उत्पन्न हुए और इन मंदिरों मे स्थित ज्योति स्तम्भ को ही हिन्दू पौराणिक कथाओं एवं मान्यताओं में देव आदि देव शिव के पवित्र 12 ज्योतिलिंगो कहा गया। जहॉ भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते है जो हिन्दू धर्म की धार्मिक सहिष्णुता अक्षुणता एवं धार्मिक एकता का भी प्रतीक है जहॉ देश विदेश से हजारों शिव भक्त प्रतिदिन दर्शन के लिये आते है प्रार्थी स्वयं भी अभी तक बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग व महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन लाभ प्राप्त कर चुका है।

3. यह कि दिनांक 01.12.2024 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक राजनीतिक रैली का आयोजन किया गया जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को सम्बोधित करने के दौरान यह कहा कि **"मैं खुद स्वयं शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगो मे से एक पवित्र लिंगो में मल्लिकार्जुन हूँ मेरे बाप ने मेरा ऐसा नाम रखा है मैं एक पवित्र लिंग मल्लिकार्जुन**

[440]

हूँ" और अपने स्वयं की तुलना भगवान शिव के धार्मिक मंदिरों में स्थित 12 ज्योतिलिंगो के अतिरिक्त स्वयं को एक पवित्र लिंग बताते हुए हिन्दु धर्म की आस्था का अपमान करते हुए सबसे पुराने आदि व अनन्त भगवान देव आदि देव शिव एवं उनके धार्मिक स्थल का हास्य परिहास्य करते हुए हिन्दू धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में झूँठ फैलाने, अपमान करना तथा किसी धर्म का मजाक बनाकर उड़ाना एवं लोगों के बीच धर्म के प्रति घृणा फैलाना एवं स्वयं को उनके समक्ष मानने का प्रयास किया गया। इस वक्तव्य पर वहॉ उपस्थित एवं हजारों लोगो ने भी उस धार्मिक दुष्प्रचार एवं झूँठ पर ताली बजाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया जोकि शिव के भक्तों की आस्था और श्रद्धा का अपमान एवं कुठाराघात था।

4. यह कि प्रार्थी को जब विभिन्न न्यूज चैनलों पर देखा तो उसको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि 100 साल पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 82 साल के राजनेता एवं राजनीतिक अनुभव रखने के साथ बी0ए0 एल0एल0बी0 किये हुए शिक्षित अनुभवी राजनेता है वह कैसे? हिन्दु धर्म के आराध्य भगवान शिव के धार्मिक स्थल निर्मित 12 ज्योतिलिंगो से अपनी तुलना जहॉ भगवान शिव स्वयं भू विराजमान है, कैसे कर सकते है और स्वयं को राजनैतिक रैलियों में जाति विशेष के लोगों को खुश करने के लिये तथा राजनैतिक फायदा लेने के लिये हिन्दु धर्म में हजारों भगवान शिव भक्तों की आस्था के प्रतीक एवं धार्मिक मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंगो से स्वयं को एक अलग शिवलिंग बताने का अपराध कैसे कर

सकते है।

5. यह कि प्रार्थी इसकी सत्यता की जॉच के लिये दिनांक 12.12.2024 को अपना विधिक कार्य समाप्त करने के बाद अपने दीवानी स्थित कार्यालय, नई बिल्डिंग सिविल कोर्ट, थाना न्यू आगरा, आगरा में नीरज यादव एडवोकेट पुत्र बालकिशन यादव निवासी–58/173बी, आदर्श नगर, अर्जुन नगर, आगरा व राहुल जैन एडवोकेट पुत्र सुभाष जैन निवासी–18/260, माईथान कोतवाली, आगरा एवं केवल कृष्ण मित्तल पुत्र शान्ती स्वरूप गुप्ता निवासी–म0नं0–27, आर0एस0 बाग, सरला बाग एक्सटेंशन दयालबाग आगरा एवं खलिक पुत्र शफीक निवासी–ए–2/1070 शहीद नगर, राजपुर चुंगी, आगरा जो आवश्यक कार्य से प्रार्थी के ऑफिस में आये हुए थे तो हमने मल्लिकार्जुन खडगे द्वारा दिये गये ब्यान का Reality Test करने के लिये इंडिया नेशनल कांग्रेस की अधिकृत Youtube चैनल www.inc.in की Official Youtube पर जाकर दिनांक 01.12.2024 का दिल्ली में रामलीला मैदान में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़्गे वह वीडियो देखा जिसमें उन्होने अपनी तुलना भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगो के अतिरिक्त स्वयं को एक पवित्र लिंग बताते भगवान शिव का अपमान एवं दुष्प्रचार करते हुए उक्त वीडियो में नजर आ रहे है, जिस वीडियो को सम्पूर्ण भारत व विश्व के 35,209 लोगों द्वारा देखा चुका था जिसमें प्रसारित होने से हिन्दू पौराणिक मान्यताओं एवं परम्पराओं, विश्वास एवं धार्मिक स्थलों का झूॅठा दुष्प्रचार प्रसारित किया गया।

6. यह कि माननीय श्री मल्लिाकाअर्जुन खडगे सांसद राज्यसभा एवं

LAVA | BLAZE 5G
Dec 16, 2024, 16:41

राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस निवासी–इंडियन नेशनल कांग्रेस, 24 अकबर रोड, नई दिल्ली पिन–110011, वर्तमान निवास–10 राजाजी मार्ग, नई दिल्ली–110011, Permanent Address-No. E/11/1297, Basavanagara Brahmapura, gulbarga town, gulbarga taluk and district. 289 17th Cross sadashivnagar, Banglore-560080 जो दिनांक 01.12.2024 को नई दिल्ली की रामलीला की रैली में दिया गया वक्तव्य मेरे स्वयं की धार्मिक, आस्था, विश्वास एवं परम्पराओं को ठेस पहुँचाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पूर्व में भी अपनी राजनैतिक रैलियों में भगवान राम और शिव का अपमान व मजाक बना चुके है जिस अपराध की निरंतरता दिल्ली की राजनैतिक रेली में देखी गयी है जिससे मैं काफी परेशान व विचलित हूँ मैं और मेरे स्वयं की अर्न्तआत्मा मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किये गये इस कृत्य को कभी माफ नहीं कर सकता। उनके द्वारा की गई अमर्यादित एवं अपमानजनक शब्द केवल मेरे स्वयं की धार्मिक भावनाओं का ही अपमान नहीं है अपितु विश्व के उन सभी भगवान शिव के भक्तों का भी अपमान है जो भारतीय संस्कृति सभ्यता, हिन्दू धार्मिक मान्यताओं में भगवान शिव एवं उनके धार्मिक तीर्थ एवं मंदिरों पर अपनी–अपनी अटूट श्रद्धा, आस्था व विश्वास रखते है।

7. यह कि मल्लिकार्जुन खडगे द्वारा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगो के अतिरिक्त स्वयं को पवित्र लिंग बताना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से किये गये शब्द गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है।

8. यह कि मल्लिकार्जुन खडगे द्वारा किये गये कथन मेरी धार्मिक

भावनाओं को ठेस पहुँचाते है एवं हिन्दू धार्मिक, भगवानों की मान्यता एवं विश्वासों का भी झूँठा दुष्प्रचार भी किया गया है।

9. यह कि उक्त घटना के वीडियो फुटेज एवं पूर्व में विपक्षी द्वारा दिये गये अपमानजनक बयानों के मीडिया फुटेज एवं फोटोग्राफ पेनड्राइव में उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

10. यह कि प्रार्थी ने अपनी लिखित रिपोर्ट श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय आगरा को बजरिये रजिस्ट्री दिनांक 12.12.2024 को भेजी, लेकिन उस पर भी पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

11. यह कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र को सुनने व निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट थाना न्यू आगरा, जिला आगरा पर लिखाये जाने एवं विवेचना कराये जाने के आदेश थानाध्यक्ष महोदय, थाना न्यू आगरा, जिला आगरा को पारित करने की कृपा करें।

दिनांकः .12.2024

प्रार्थी

गगन शर्मा एडवोकेट निवासी–बी–34,
सरला बाग एक्सटेंशन, दयालबाग,
जिला आगरा।
दीवानी कार्यालय–चैम्बर नं0–सी–1,
सिविल कोर्ट, नई बिल्डिंग, मस्जिद
के पास, न्यू आगरा, आगरा।